न्यायालय, समाहर्त्ता, खगड़िया।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 41 / 2009–10
39 / 2013

रामाशीष प्रसाद सिंह

बनाम

राज्य (अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया।)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1.	02.	3.

आदेश

23.8.2016

आपूर्ति अपील अंतर्गत विचाराधीन वाद संख्या– 41/2009-10 39/2013 रामाशीष प्रसाद सिंह द्वारा लाया गया है, जो अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया–सह–अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा, अनुज्ञप्ति संख्या–126ए0/2007 जन वितरण प्रणाली विक्रेता के रद्द कर दिये जाने से उद्भूत है।

सारांश रूप में प्रश्नगत अनुज्ञप्ति के रद्द किये जाने का आधार अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता रामाशीष प्रसाद सिंह का एक ही समय में ग्रामीण पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर एवं जन वितरण प्रणाली का विक्रेता होना अंकित है। संदर्भित आदेश के पठन से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्ति पदाधिकारी की दृष्टि में एक ही समय में एक व्यक्ति दो लाभ का पद धारित नहीं कर सकते हैं।

अपीलार्थी के अपील आवेदन में इस तथ्य का उल्लेख है कि चुकि वे स्थायी विभागीय डाक कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए इनकी जन वितरण प्रणाली के विक्रेता की अनुज्ञप्ति केवल इस आधार पर रद्द नहीं की जानी चाहिए थी। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के क्रम में तथा एक अन्य आवेदन द्वारा समरूप तथ्यों को दोहराते हुए अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित करने का अनुरोध किया गया है।

इसके विपरीत विशेष लोक अभियोजन, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खगड़िया ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपीलार्थी का आवेदन तर्क संगत नहीं हैं। क्योंकि स्पष्ट रूप से अपीलार्थी एक ही समय में दो लाभ के पद पर कार्यरत है। लिखित बहस के रूप में उनका दृष्टिकोण निम्नरूपेण है :–

"That, during argument learned lawyer of applicant has said that appellant is not permanent employee of postal department rather he is additional employee (Gramin Dak Sevak) on allowance basis."

विशेष लोक अभियोजन, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खगड़िया के अनुसार अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित करने योग्य नहीं है।

वस्तु स्थिति के सम्यक विचारण हेतु निम्न न्यायालय के अभिलेख का भी अवलोकन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश के पठन से उनका दृष्टिकोण स्पष्ट है। अपील दाखिल करने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में C.W.J.C No.-13220/2015 दायर किया गया था, जिसे निम्न निदेश के साथ निष्पादित करने की कृपा की गयी।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.

"The writ petition is disposed of with direction to respondent no.2 to dispose of petitioner's appeal within three months form the date of receipt of this order."

सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई विभागीय निदेश प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किसी जन वितरणी प्रणाली के विक्रेता द्वारा एक ही समय में लाभ का अन्य पद भी धारित किया जा सकता है।

उक्त स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–174 दिनांक 04.03.2014 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

23/8/2016
समाहर्त्ता, खगड़िया।

23/8/2016
समाहर्त्ता, खगड़िया।

डी0बी0 02 157 / विधि, दिनांक 23/8/2016

प्रतिलिपि :–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आदेश की प्रति, जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

23/8/2016
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।